कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी

कमांक	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	पात्रता	आवेदन कहां करें
1	इंदिरा आवास योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन हितग्राहियों को आवास सुविधा मय शौचालय एवं धुंआ रहित चुल्हा उपलब्ध कराना।	बी.पी.एल. परिवार	ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / जिला पंचायत
2	मुख्यमंत्री आवास योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन हितग्राहियों को नवीन आवास , शौचालय एवं धुआंरहित चुल्हा उपलब्ध कराना	बी.पी.एल. / अनुसूचित जाति / जनजाति	ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / जिला पंचायत
3	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	बी.पी.एल समूह एवं स्वरोजगारियों को रोजगार उपलब्ध कराना	बी.पी.एल. परिवार	जनपद पंचायत
4	बी.आर.जी.एफ. योजना (अपना घर)	योजना अंतर्गत आवासहीन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुजाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष एक आवास का निर्माण कराया जाता है।	बी.पी.एल. केवल अनुसूचित जाति / जनजाति के हितग्राही	ग्राम पंचायत
5	समग्र स्वच्छता अभियान	योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु शौचालय / नाडेप / कचराघर आदि का निर्माण किया जाता है। बीपीएल परिवारों को शासन द्वारा शौचालय निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। संपूर्ण ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण होने पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।	बी.पी.एल. परिवार	ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत
6	सूखा उन्मुक्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के तहत् संचालित योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, कृषि, गैरकृषि गतिविधियों में चारागाह विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य ग्राम स्तरीय वाटर शेड समितियों के माध्यम से कराये जाते है।	ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवार	ग्राम स्तरीय वाटर शेड समिति एवं संबंधित परियोजना अधिकारी स्तर पर एवं संबंधित ग्राम पंचायत

NIC For.

7	समन्वित पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के तहत् संचालित योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वृज्ञारोपण, कृषि, गैरकृषि गतिविधियों में चारागाह विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य ग्राम स्तरीय वाटर शेड समितियों के माध्यम से कराये जाते है।	ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवार	ग्राम स्तरीय वाटर शेड समिति एवं संबंधित परियोजना अधिकारी स्तर पर एवं संबंधित ग्राम पंचायत
8	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (वाटर शेड)	राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के तहत् संचालित योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वृज्ञारोपण, कृषि, गैरकृषि गतिविधियों में चारागाह विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य ग्राम स्तरीय वाटर शेड समितियों के माध्यम से कराये जाते है।	ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवार	ग्राम स्तरीय वाटर शेड समिति एवं संबंधित परियोजना अधिकारी स्तर पर एवं संबंधित ग्राम पंचायत
9	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	योजना अंतर्गत समस्त 18 से 60 वर्ष के भूमिहीन, खेतीहर मजदूरों को पंजीकृत किया जाकर उन्हें पुनः फोटोयुक्त परीचय पत्र प्रदान किया जाता है तथा उन्हें प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता एवं मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता, छात्रवृति सहायता प्रदान की जाती है।	भूमिहीन ग्रामीण खेतीहर मजदूर जिनके परिवार का मुखिया तथा परिवार कमाउ सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो।	जनपद पंचायत
10	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	60 से अधिक 65 वर्ष से कम आयु के वृद्ध एवं 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्तता महिला एवं 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त व्यक्ति एवं 6 से 14 वर्ष की आयु की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे निराश्रित तथा निःशक्त बालक/बालिकाओं जो शाला में अध्ययनरत है।	बी.पी.एल. परिवार	ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड अधिकारी
11	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 65 वष्र से अधिक हो जिनका नाम गरीबी रेखा बी.पी.एल. की श्रेणी में आता हो ऐसे वृद्ध महिला/पुरूषों को पेंशन की पात्रता होती है।	गरीबी रेखा बी.पी.एल. की श्रेणी में आता हो ऐसे वृद्ध महिला/पुरूषों को पेंशन की पात्रता होती है।	ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड अधिकारी

12	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाउ सदस्य महिला / पुरूष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम है की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अर्थिक सहायता दी जाती है।	गरीबी रेखा बी.पी.एल. की श्रेणी में महिला/पुरूषों को पेंशन की पात्रता होती है।	ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड अधिकारी
13	कपिलधारा उपयोजना (एनआरईजीएस)	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवार के हितग्राही के खेत में सिंचाई/कूप/खेत तालाब/लद्यु तालाब/स्टापडेम/चेक डेम का निर्माण कर सिंचाई क्षमता बढ़ाना तथा भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवार के हितग्राही एवं लघु व सीमांत कृ ाक	संबंधित ग्राम पंचायत
14	नंदनफलोद्यान (एनआरईजीए)	हितग्राहियों की भूमि एवं मेढ़ों में फलदार वृक्षो का रोपण कराना	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवार के हितग्राही	संबंधित ग्राम पंचायत